राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 571वीं बैठक दिनांक 12/05/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :--

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
- 6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- 7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9145/2022 M/s Kisan Exports, Partner Shri Vinod Kumar Khedia, Khedia Bhawan, P.O. Bijuri, Hanuman Mandir Chowk, Tehsil - Kotma, Dist. Shahdol, MP, Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 4.998 ha. (Granite Block - 18086 cum per annum, Saleable Stone Waste - 102490 cum per annum) (Khasra No. 492/1/Ka, 885/4/Ka), Village - Sulkhari Godhan, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP)

This is case of Granite Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 492/1/Ka, 885/4/Ka), Village - Sulkhari Godhan, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) 4.998 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपिश्वित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सिर्टिफिकेट, खिनज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खिजन शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 670 दिनांक 18/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर जो गूगल इमेज खुल रही है वह बैतूल जिले में स्थित है जबिक प्रोजेक्ट की लोकेशन ग्राम सुलखरीगोदान तहसील जैतिहारी जिला अनूपपुर है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि भूलवश दूसरी इमेज ऑनलाईन संलग्न हो गई है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ऑनलाईन जो टोपोशीट अपलोड की गई है वह उसमें दिये गये को—आर्डिनेट सही है तथा वे आंवटित खनन् क्षेत्र के है, अतः इनको प्रस्तुतीकरण हेतु मान्य किया जाये । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के पूर्व क्षेत्र में लगभग 20 पेड़ लगे है तथा पश्चिम में 80 मीटर पर तालाब है । अतः परियोजना प्रस्तावक को तालाब से 20 मीटर का सेट—बैक छोड़ने के निर्देश दिए गए । परियोजना प्रस्तावक ने बातया कि खदान में जो 20 पेड़ लगे हैं उनमें से 10 को काटे जाने का प्रस्ताव था किंतु वे इस क्षेत्र को नॉन माईनिंग क्षेत्र घोषित कर रहे है क्योंकि उत्पादन नक्शें में भी इस जगह उत्पादन नहीं दिखाया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

- ✓ पश्चिम में 80 मीटर पर तालाब है अतः तालाब से 20 मीटर का सेट—बैक नॉन माईनिंग जोन दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।
- 🗸 सिमति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- √ सिमिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 12/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट ब्लॉक-18,016 मी³ प्रति वर्ष एवं सेलेवल स्टोन वेस्ट-1,02,490 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 15.86 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 08.83 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
 आंगनवाड़ी केंद्र सुलखारी में एक वर्ष तक पोषण आहार वितरण। 	1,20,000
 सुलखरी गोधन के नजदीक स्थित प्राथिमक स्वास्थ केंद्र में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार उपयोग हेतु सामग्री उपलब्ध कराई जावेगी 	80,000
योग	2,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 6130 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
	ानयत स्थान		(संख्या में)
1	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— महुआ , चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, करंज आदि।	1250
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, जंगल जलेबी, कदंब पुत्रंजीवा, नीम, सिरसू आदि।	800
3	ग्राम सुलखारी के मंदिर परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— पीपल, पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, कदम सप्तपर्णी, चिरोल, बरगद आदि।	150
4.	खदान क्षेत्र के पश्चिम में स्थित तालाब के चारो ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— चिरोल, पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, पीपल, सप्तपर्णी, कदंब आदि	350
5.	खदान क्षेत्र के पश्चिम में स्थित ग्राम पाटन में उपलब्ध शासकीय भूमि पर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— बरगद, आम, नीम, पीपल, अमरुद, मोलश्री, करंज, सप्तपर्णी आदि।	1580
6.	सुलखारी गोदन व पाटन के ग्रामवासियों को पौधे वितरण हेतु	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— आम , पपीता , आंवला, नीम, अमरुद, कटहल, निम्बू, मुनगा आदि।	2000
		कुल वृक्षारोपण	6130

2- <u>Case No 9148/2022 M/s Kisan Exports, Partner Shri Vinod Kumar Khedia, Khedia Bhawan, P.O. Bijuri, Tehsil - Kotma, Dist. Anuppur, MP - 484440, Prior Environment Clearance for Granite Quarry in an area of 1.607 ha. (Granite Block - 1016 cum per annum, Saleable Stone Waste - 5757 cum per annum) (Khasra No. 362), Village - Takhuli, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP)</u>

This is case of Granite Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 362), Village - Takhuli, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) 1.607 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपिश्वित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सिटिंफिकेट, खिनज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खिजन शाखा) एकल—पत्र क्रमांक 672 दिनांक 18/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं हैं, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 11/05/22 के माध्यम से अवगत कराया कि उनकी उत्पादन क्षमता में संशोधन प्रस्तावित है तथा पुनरीक्षित खनन् योजना प्रक्रियारत है जब पुनरीक्षित खनन् योजना का अनुमोदन हो जायेगा तब वे प्रकरण प्रस्तुत करेंगे । अतः उनके इस प्रकरण को डिलिस्ट कर दिया जाये । समिति ने परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य करते हुए प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा की तथा नस्ती सिया को भेजे जाने का निर्णय लिया ।

3- <u>Case No 9143/2022 Shri Sachin Dungarwal, Owner, 519, Ringnod, Tehsil - Jaora, Dist. Ratlam, MP - 457376, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (25000 cum per annum) (Khasra No. 1155), Village - Jhalava, Tehsil - Jaora, Dist. Ratlam (MP)</u>

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1155), Village - Jhalava, Tehsil - Jaora, Dist. Ratlam (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपिश्वित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खिनज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खिजन शाखा) एकल—पत्र क्रमांक 4515 दिनांक 04/08/21 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रश्नाधीन प्रकरण पूर्व में प्रकरण क्रमांक 8764/21 के माध्यम से सेक को प्राप्त हुआ था जिसमें समिति की 545वीं बैठक दिनांक 29/01/22 में यह अनुशंसा की गई थी कि

"Hence, in the light of above the case was scheduled for presentation after deliberation committee observed that SEIAA in their 263th meeting dated 28.112015 has decided to leave minimum 300 m

distance from the periphery of Wind Turbine Generator Foundation with reference to letter no. 1097 dated 20.11.2015 issued by Commissioner, New & Renewable Energy. Whereas PP has submitted letter of District Jila akshay Adhikari of MP Urja Vikas Nigam Office, Mandsaur letter vide no. 232 dated 15.12.2021 wherein mentioned that regarding in the proposed Murrum mining on government land where blasting is not proposed and no damage shall be ensures on Wind Turbine Generator Foundation and its transmission line in such condition the concerned office has no objection. The committee after deliberation recommended that in this above context SEIAA may take clarification from the Competent Authorirt who has given earlier recommendation i.e. Commissioner, New & Renewable Energy, Bhopal".

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी, खनिज शाखा, रतलाम ने अपने पत्र क्रमांक 409 दिनांक 14/03/22 के माध्यम से नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, भोपाल से उपरोक्त संदर्भ में जानकारी चाही थी जिसके संदर्भ में कार्यालय आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय, भोपाल के पत्र क्रमांक 112 दिनांक 28/4/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि आवेदित उत्खनन् मुक्तम खदान क्षेत्र, जिसकी दूरी मेसर्स सुजलॉन एनर्जी की उल्लेखित विंड टरवाईन क्रमांक KLY-08 से 180 मीटर दर्शाई गई है कि, नॉन ब्लास्टिंग की दशा में सिया द्वारा पर्यावरणीय अनुमति दिये जाने m3/year संबंध में कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है । चूँकि कार्यालय आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय, भोपाल के पत्र क्रमांक 112 दिनांक 28/4/22 के माध्यम से नॉन ब्लास्टिंग होने के कारण अनापत्ति दे दी गई है, अतः यदि सिया उपरोक्त अनापत्ति मान्य करता है तो प्रकरण पर विचार किया जा सकता है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक ने फार्म—2 के सरल क्रमांक 8 (2) में मुरूम उत्पादन क्षमता 12000 m3/year हेतु आवेदन किया गया है जबिक पी.एफ.आर., ई.एम.पी. एवं अनुमोदित माइन प्लॉन में मुरूम क्षमता 25000 m3/year है, परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उत्पादन क्षमता 25000 m3/year ही है तथा त्रुटिवश फार्म—2 में उत्पादन क्षमता 12000 m3/year उल्लेख हो गया है, अतः वे पुनरीक्षित फार्म—2 प्रस्तुत कर रहे है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पिश्चम दिशा में 375 मीटर पर तालाब है, 180 मीटर पर विंडिमल तथा आबादी उत्तर—पिश्चम दिशा में 500 मीटर से अधिक दूरी पर है । पिरयोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण मुरूम के उत्खनन् के कारण ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

- √ उत्पादन क्षमता 25,000 घनमीटर / वर्ष हेतु लिखित कथन ।
- ✓ सिमिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना ।
- √
 सिमिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- √
 सिमिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 12/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम 25,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.28 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.42 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
 ग्राम झालावा के आंगनवाड़ी केंद्र में एक वर्ष तक पोषण आहार उपलब्ध करवाया जावेगा एवं केंद्र की पुताई करवाई जावेगी 	30,000
 झालावा के नजदीक स्थित प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार उपयोग हेतु सामग्री उपलब्ध कराई जावेगी 	20,000
योग	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करोंदा करंज आदि।	1300
2	परिवहन मार्ग तथा गांव मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिरसू आदि।	400
3	ग्राम झालावा के पंचायत भवन परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— पुत्रंजीवा, मोलश्री, कदंब, संतरा, आम, कटहल, आवला ,करंज, आदि।	100

4.	ग्राम झालावा में स्थित शासकीय माध्यमिक शाला के परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— चिरोल, करंज, पुत्रंजीवा, मोलश्री, सप्तपर्णी, नीम, कचनार , पीपल आदि।	150
5.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— आमला, सीताफल, आम, जामुन, अमरुद, अनार, इमली, निम्बू, कटहल आदि।	450
		कुल वृक्षारोपण	2400

4- <u>Case No 9140/2022 Shri Shiv Shakti Stone, Partner Shri Pawan Kumar Rai, Near Bus Stand, Batiyagarh, Tehsil - Batiyagarh, Dist. Damoh, MP - 470673, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.550 ha. (16802 cum per annum) (Khasra No. 930), Village - Buddhakheda, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 930), Village - Buddhakheda, Tehsil - Banda, Dist. Sagar (MP) 1.550 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपिश्वित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खिनज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खिजन शाखा) पत्र क्रमांक 549 दिनांक 24/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पूर्व दिशा में 25 मीटर पर कच्चा रोड़ एवं दक्षिण—पूर्व रिशा में 300 मीटर पर पक्का रोड़ है । इसी प्रकार खदान के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्र से लगा हुआ कच्चा रोड़ निकल रहा है, अतः दोनों दिशाओं की ओर से 10—10 मीटर का सेट—बैक नॉन माईनिंग जोन छोड़ा जाना होगा । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

- ✓ खदान के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्र से लगा हुआ कच्चा रोड़ निकल रहा है, अतः दोनों
 दिशाओं की ओर से 10−10 मीटर का सेट−बैक नॉन माईनिंग जोन दिखाते हुए पुनरीक्षित
 सरफेस मेप ।
- √
 सिमिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 12/05/22 द्वारा दी गई, जिसे सिमित के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से सिमित द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन—16,802 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.20 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 03.23 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.25 लाख :--

सी. ई. आर. मद मे प्रस्तावित गतिविधि	राशि रु. में
शासकीय प्राथमिक शाला बुढ्ढाखेड़ा में 20 बेंच व 5 कुर्सियों की व्यवस्था	25,000
शासकीय उपस्वास्थ केंद्र भर्राना तहसील बंडा जिला सागर में 1 - रिपोर्ट के साथ ईसीजी मशीन	60,000
शासकीय उपस्वास्थ केंद्र भर्राना तहसील बंडा जिला सागर में 4-फोल्डेबल व्हील चेयर	40.000
योग	1,25.000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1900 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु	पौथो की प्रजातियां	पौधों की संख्या
नियत स्थान		
	नीम, खमेर, काला सिरस, चिरोल, करंज, बब्ल, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	840
परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदंब एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	560

 नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	500
कुल	1900

5- Case No 9141/2022 M/s Ma Sharda Stone Crusher Hinouta, Prop., Shri Abhishek Asthana, Amodha, Dist. Satna, MP - 485001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.0 ha. (15001 cum per annum) (Khasra No. 1190/1), Village - Barahakalan, Tehsil - Gunour, Dist. Panna (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1190/1), Village - Barahakalan, Tehsil - Gunour, Dist. Panna (MP) 3.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपिश्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खिनज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खिजन शाखा) एकल प्रमाण पत्र कमांक 408 दिनांक 05/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पूर्व दिशा में 190 मीटर तथा उत्तर—पूर्व में 200 मीटर पर कच्चा रोड़ है । खदान क्षेत्र के उत्तर—पश्चिम दिशा में 450 मीटर पर आबादी है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के दक्षिण क्षेत्र में एक पुरानी खदान है जिसमें पानी भरा हुआ है जिसके संदर्भ में पिरयोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह बहुत पुरानी खदान है तथा गूगल इमेज की हिस्ट्री इमेज देखने से यह स्पष्ट होता है कि यह खदान 2011 से खुदी हुई है तथा वर्तमान में इसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

✓ सिमति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 12/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से

समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन—15,001 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.92 लाख एवं रिकरिंग राशि रू.04.91 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख :—

	सी. ई. आर. गतिविधि				
र्स	ो.एस. आर. मद से प्राथमिक	स्वास्थ केंद्र महेबा (ग्राम बर	हाकला) में स्वास	थ संबंधी निम	नलिखित
		उपकरणो का वितरण किय	ा जाएगा		
साल	संस्था का नाम	उपकरण सामग्री	कंपनी	संख्या	राशि
		ECG Machine With	Medonics	01	50,000
	प्राथमिक स्वास्थ केंद्र	Report			
4	महेबा	Radiant Warmer	BLT	01	35,000
'	-		Monitoring		
	(ग्राम बरहाकला)		Company		
		Refrigerator	LG	01	15,000
		योग			1,00,000/-
संबंधि	संबंधित पी.एच.सी. में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार उपरोक्त इंवेंट्री में परिवर्तन किया जा सकेगा ।				

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन	नीम, पीपल, सिस्सु, बरगद, आम, चिरोल, खामेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	2500
2.	परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, करंज, आम, सिरस्तु, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	100
3	ग्प्रम वासियों मे वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, अमरूद, पपीता, नींबू, हर्रा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1000
		योग	3600

6- Case No 9155/2022 M/s Madhya Pradesh Mineral Supply Company, Ward No. 8, Village - Jaitwara, Dist. Satna, MP - 485221, Prior Environment Clearance for Ochre, White Earth, Bauxite Quarry in an area of 7.409 ha. (Bauxite - 9902 Tonne per annum, OB - 5934 Tonne per annum) (Khasra No. 35(P)), Village - Nowgaon, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP)

This is case of Ochre, White Earth, Bauxite Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 35(P)), Village - Nowgaon, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) 7.409 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । चूँिक प्रश्नाधीन प्रकरण मुख्य खजिन बाक्साइट (लीज एरिया 7.409 हे.) होने के कारण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इंवेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई एवं गर्थ सिहत ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में सिमित इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की सिमित अनुशंसा करती है :—

- 1. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो व स्टोन केंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
- चूँिक खदान पहाड़ी क्षेत्र के पास स्थित है,अतः रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 3. खदान के साथ प्रस्तुत डी.एफ.ओ. के पत्र क्रमांक 8592 दिनांक 29/11/2021 में यह उल्लेखित है कि प्रश्नाधीन खदान स्थल वन क्षेत्र क्रमांक पी—823 से लगा हुआ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ—5/16/81/10—3, भोपाल दिनांक 07/10/02 की कण्डिका—छ में लेख है कि उक्त आदेश पूर्व में स्वीकृत खदानों में लागू नहीं होंगे । किंतु वर्तमान में प्रचलित आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि 2002 के पूर्व स्वीकृत खनिज रियायतों के ऐसे प्रकरण जिनकी वन क्षेत्र से दूरी 250 मीटर से कम है, में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक है या नहीं । अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक सम्पूर्ण विवरण औचित्य के साथ ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करेंगे।

- 4. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।
- 5. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 6. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 7- Case No 9154/2022 M/s Rakesh Agencies, 26/52, Alfrat Ganj, Madhai Ka Bagicha, B. D. Agrawal Ward, Katni, Dist. Katni, MP, Prior Environment Clearance for Ochre, White Earth, Bauxite Quarry in an area of 10.76 ha. (Bauxite 9497 Tonne per annum, OB 5178 Tonne per annum) (Khasra No. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55), Village Nowgaon, Tehsil Majhgawan, Dist. Satna (MP)

This is case of Ochre, White Earth, Bauxite Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55), Village - Nowgaon, Tehsil - Majhgawan, Dist. Satna (MP) 10.76 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/22 को परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । चूँिक प्रश्नाधीन प्रकरण मुख्य खजिन बाक्साइट (लीज एरिया 10.76 हे.) होने के कारण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इंवेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :—

- 1. प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो व स्टोन क्रेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
- 2. चूंकि खदान पहाड़ी क्षेत्र के पास स्थित है,अतः रनऑफ मैनेजमेंट प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

- 3. खदान के साथ प्रस्तुत डी.एफ.ओ. के पत्र क्रमांक 9594 दिनांक 29/11/2021 में यह उल्लेखित है कि प्रश्नाधीन खदान स्थल वन क्षेत्र क्रमांक पी—823 से लगा हुआ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक एफ—5/16/81/10—3, भोपाल दिनांक 07/10/02 की कण्डिका—छ में लेख है कि उक्त आदेश पूर्व में स्वीकृत खदानों में लागू नहीं होंगे । किंतु वर्तमान में प्रचलित आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि 2002 के पूर्व स्वीकृत खनिज रियायतों के ऐसे प्रकरण जिनकी वन क्षेत्र से दूरी 250 मीटर से कम है, में संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक है या नहीं । अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक सम्पूर्ण विवरण औचित्य के साथ ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करेंगे।
- 4. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।
- 5. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 8- Case No 9152/2022 M/s LCC Projects Pvt. Ltd, Project Manager, Shri L.P.Tiwari, Vikram Nagar, Ambli Bhopal Road, Dist. Ahmedabad, Guj. 380054, Prior Environment Clearance for Stone & M-Sand Quarry in an area of 4.50 ha. (Stone 51030 cum per annum, M-sand 21141 cum per annum) (Khasra No. 551 Part), Village Gabri, Tehsil Rahatgarh, Dist. Sagar (MP)

This is case of Stone & M-Sand Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 551 Part), Village - Gabri, Tehsil - Rahatgarh, Dist. Sagar (MP) 4.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपिश्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खिनज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी. एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खिजन शाखा) एकल प्रमाण पत्र कमांक 553 दिनांक 25/03/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर—पश्चिम दिशा में 35 मीटर पर आबादी है । गूगल इमेज के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह स्वीकृत अस्थाई अनुज्ञा डेम क्षेत्र में है। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 553 दिनांक 25/03/22

के अनुसार प्रस्तावित खनन् अनुज्ञा क्षेत्र प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र है । इसी प्रकार माईनिंग प्लॉन के पृष्ट कमांक—72 पर यह उल्लेखित किया गया है कि मल्टीपरपज इरिगेशन प्रोजेक्ट का फॉरेस्ट क्लियरेंस मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिया गया है तथा उनकी प्रतिलिलि ऑनलाईन दस्तावेज प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने परियोजना प्रस्तावक से पूछा कि क्या यह खनन् गतिविधि बॉध निर्माण से संबंधित कार्य है ।

तत्संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस कार्य की अस्थाई अनुज्ञा स्वीकृति आदेश में यह उल्लेखित है कि यह अस्थाई अनुज्ञा बीना संयुक्त सिंचाई एवं बहुउदेशीय परियोजना अंतर्गत मढ़िया बॉध के निर्माण कार्य हेतु गिटटी क्रेशर मशीन लगाकर पत्थर से गिटटी एवं रेत बनाने के लिए चाही गई है तथा इस तथ्य का उल्लेख हमने खनन योजना में भी किया है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमादित की गई है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि डेम निर्माण के दौरान जो डेम लाईन एवं नहर के लिए खुदाई की जाना है उसी क्षेत्र में यह लीज आवंटित की गई है ताकि डेम निर्माण तथा नहर खुदाई के दौरान उत्पन्न हुए पत्थर का उपयोग गिट्टी एवं एम-सेंड बनाकर डेम के कार्यो में ही उपयोग किया जाये । इस कार्य से जो भी पत्थर डेम निर्माण हेतू उत्पन्न हुआ है, उसका समुचित उपयोग हो सकेगा तथा यदि डेम क्षेत्र के बाहर स्वीकृत की जाती तो एक नये क्षेत्र में खनन् करना पड़ेगा । चूंकि बॉध परियोजना में वैसे भी डेमलाईन हेत् काफी गहराई तक ब्लास्टिंग कर उत्खनेन कार्य किया जाना है । अतः यदि उसी क्षेत्र में खदान स्वीकृत कराकर माईनिंग की जाये यह पर्यावरण हितैशी होगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि जिस स्थल पर लीज स्वीकृत की गई है वह पूर्व से ही प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र है जिस हेतु फॉरेस्ट क्लियरेंस जल संसाधन विभाग द्वारा लिया जा चुका है । चूँकि आवेदित स्थल अभी भी वन भूमि है, अतः इस स्थल पर खनन् एवं रॉयल्टी के विषय में संबंधित वन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ही उत्खनन् कार्य किया जाये । इसी प्रकार परियोजना प्रस्तावक द्वारा चूंकि लीज की स्वीकृति डेम निर्माण हेत् गिट्टी एवं एम-सेंड बनाने हेत् प्राप्त की गई है, अतः वे यह वचन-पत्र दें कि इस खदान से निकालें जाने वाले पत्थर एवं एम-सेंड का उपयोग सिर्फ बॉध निर्माण में ही किया जावेगा तथा बाहर व्यवसायिक उपयोग हेतु नहीं बेचा जायेगा । समिति ने चर्चा के दौरान यह भी अनुशंसा की कि चूंकि बॉध निर्माण के पश्चात् स्वीकृत खनन् क्षेत्र डूब क्षेत्र में परिवर्तित हो जायेगा, अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण आसपास के गाँव तथा डेम के डाऊनस्ट्रीम में नदी के दोनों किनारों पर किया जाये । चर्चा के दौरान समिति का यह भी मत था कि बॉध की फाउण्डेशन निर्माण के दौरान काफी गहराई तक (शीट रॉक के मिलने तक) खुदाई का कार्य किया जाता है । अतः बॉध निर्माण के दौरान सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप ब्लास्टिंग व खुदाई के कार्य निहित होते है तथा इस दौरान निकले पत्थर व अन्य मटेरियल का उपयोग यदि उसी बॉध के निर्माण हेतु किया जाये तो यह पर्यावरण अनुकुल एवं मितव्ययी भी होगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तृत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ परियोजना प्रस्तावक का वचन—पत्र कि इस खदान से निकाले जाने वाले पत्थर एवं एम—सेंड का उपयोग सिर्फ बॉध निर्माण में ही किया जावेगा तथा बाहर व्यवसायिक उपयोग हेतु नहीं बेचा जायेगा ।
- √ परियोजना प्रस्तावक का वचन—पत्र चूँिक आवेदित स्थल वन भूिम है, अतः खनन एवं रॉयल्टी के विषय में वन विभाग एवं जल संसाधन विभाग से अनुमित प्राप्त कर खनन किया जायेगा ।

- √ एम—सेंड प्लांट की लोकेशन दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप तथा एम—सेंड प्लांट का ले—आऊट ।
- ✓ एम—सेंड प्लांट से उत्पन्न होने वाले दूषित जल की मात्रा, शोधन की व्यवस्था तथा उत्पन्न होने वाले सिल्ट के अपवहन का विवरण प्रस्तुत करें ।
- √
 सिमिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- √
 सिमित द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 12/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन—51,030 मी³ प्रति वर्ष तथा एम—सेंड—21,141 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. परियोजना प्रस्तावक की यह जिम्मेदारी है कि वे इस खदान से निकाले जाने वाले पत्थर एवं एम—सेंड का उपयोग सिर्फ बॉध निर्माण में ही करें तथा उसको बाहर व्यवसायिक उपयोग हेतु न बेचे ।
- 3. आवेदित स्थल वन भूमि है, अतः खनन एवं रॉयल्टी के विषय में वन विभाग विभाग से अनुमति प्राप्त कर खनन् किया जायेगा ।
- 4. आवेदित स्थल पर जल संसाधन विभाग का डेम प्रस्तावित है, अतः खनन् कार्य के पूर्व जल संसाधन विभाग की अनुमति प्राप्त की जाये तथा जल संसाधन विभाग यह सुनिश्चित् करें कि इस खदान से निकलने वाले पत्थर का उपयोग स्थान विशेष डेम निर्माण कार्य में ही हो तथा उसे बाहर न बेचा जाये । जल संसाधन विभाग को यह सावधानी भी रखनी पडेगी कि दोनो कार्य (अर्थात बांध निर्माण एवं खनन्) अतिव्यापी (Overlap) न हो ।
- 5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.96 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू.03.48 लाख . प्रति वर्ष ।
- 6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.50 लाख :—

	सामाजिक कल्याण के लिए (As per MoEF&CC OM dated 25/02/21)	
1	शासकीय प्राथमिक शाला दरकोली में 10 बेंच व 5 कुर्सियों की व्यवस्था	20,000
2	शासकीय सामुदायिक केंद्र राहतगढ़ तहसील राहतगढ़ जिला सागर में 1 - रिपोर्ट के साथ ईसीजी मशीन की व्यवस्था	60,000
3	शासकीय सामुदायिक केंद्र राहतगढ़ तहसील राहतगढ़ जिला सागर में 2 - फोल्डेबल व्हील चेयर की व्यवस्था	20,000
4	शासकीय सामुदायिक केंद्र राहतगढ़ तहसील राहतगढ़ जिला सागर में 1- डिजिटल एक्स-रे मशीन की व्यवस्था	1,50,000

कुल योग	2,50,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 5400 वृक्षों का वृक्षारोपण :

अवस्था	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौथो की प्रजातियां	पौधों की संख्या
	वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग की निगरानी में बीना नदी के अनुप्रवाह में किया जायेगा (Plantation will be done in downstream of Bina River bed)	बांस के पौधे	5400
		योग	5400

9- Case No 9153/2022 M/s Agrawal Enterprises, Owner, Shri Abhishek Agrawal, 21-A, Dhanwantari Nagar, Dist. Indore, MP - 452012, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.225 ha. 12245 cum per annum) (Khasra No. 229/1, 229/2, 244/2, 245), Village - Kesarbardi, Tehsil - Mahu, Dist. Indore (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 229/1, 229/2, 244/2, 245), Village - Kesarbardi, Tehsil - Mahu, Dist. Indore (MP) 2.225 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपिश्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खिनज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खिजन शाखा) एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 234 दिनांक 04/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 02 खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 4.818 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के उत्तर दिशा में 35 मीटर पक्का रोड़ है, अतः 15 मीटर का

सेट—बैक छोड़ा जाना होगा । इसी प्रकार खदान के दक्षिण—पूर्वी दिशा में 350 मीटर पर पावर स्टेशन, दक्षिण पश्चिम दिशा में 235 मीटर पर प्राकृतिक नाला तथा उत्तर—पश्चिम दिशा में 325 मीटर पर आबादी है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज (मई, 2021) अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल बीच से खुदा हुआ है जिसमें 2021 में खनन् कार्य बाजू खदान द्वारा अज्ञानतावश किया गया है तथा हमको इसी स्थिति में मिली है, जिसका आवंटन 08 मार्च, 2022 को हुआ है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खुदा हुआ क्षेत्र अनुमोदित खनन् योजना के सरफेस मेप में दिखाया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा से एक एच.टी. लाईन निकल रही है अतः सुरक्षा की दृष्टि से 50 मीटर का सेट—बैक एच.टी. लाईन के दोनों ओर छोड़ा जाये । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

- ✓ खदान क्षेत्र के दक्षिण दिशा से एक एच.टी. लाईन निकल रही है अतः सुरक्षा की दृष्टि से
 एच.टी. लाईन के दोनों ओर 50 मीटर का सेट—बैक सेट—बैक नॉन माईनिंग जोन दिखाते
 हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।
- √ सिमिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- 🗸 सिमति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 12/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें खदान क्षेत्र के दोनों ओर से सेट—बैक छोड़ने पर कुल स्वीकृत क्षेत्र 2.225 हे. में से खनन् योग्य क्षेत्र सिर्फ 1.00 हे. बचता है, अतः परियोजना प्रस्तावक ने उत्पादन क्षमता 8,000 घनमीटर/वर्ष (पूर्व क्षमता 12,245 घनमीटर/वर्ष के स्थान पर) प्रस्तावित की जो समिति द्वारा संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन—8,000मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.84 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.93 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि		राशि (रु. में)
केसरबर्डी आंगनवाड़ी केंद्र में 1 वर्ष तक पोषण आहार वितरण I		50,000
महूँ प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में ई.सी.जी. मशीन रिपोर्ट के साथ I		50,000
	योग	1,00,000

संबंधित पी.एच.सी. में पदस्थ चिकित्सक के सुझाव अनुसार उपरोक्त इंवेंट्री में परिवर्तन किया जा सकेगा ।

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :

वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा संख्या
बैरियर जोन	नीम, सिस्सू, करंज, चिरोल, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ।	2920
नॉन माइनिंग जोन	नीम,जंगल जलेबी, करंज, सीताफल	500
परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	नीम,करंज,चिरोल, खमेर I	80
विद्यालय में	मौलश्री, पुत्रन्जीवा , कचनार, कदम, नीम	100
	योग	3600

10- Case No 9156/2022 Smt. Akanksha Singh Tomar, Owner, R/o Village and Post - Muderi Uttari, Lavkushnagar, Dist. Chhatarpur, MP - 471515, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (10000 cum per annum) (Khasra No. 591(P)), Village - Tiktai, Tehsil - Chandla, Dist. Chhatarpur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 591(P)), Village - Tiktai, Tehsil - Chandla, Dist. Chhatarpur (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपिश्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खिनज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खिजन शाखा) एकल प्रमाण पत्र कमांक 938 दिनांक 08/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 01 खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 3.599 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पश्चिम दिशा में 15 मीटर तथा पूर्व दिशा में 30 मीटर पर कच्चा रोड़ एवं पूर्व दिशा में 260 मीटर पर प्राकृतिक नाला है । खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में 120

मीटर आबादी है, अतः 80 मीटर का सेट—बैक छोड़ा जाना होगा । खदान क्षेत्र में 05 पेड़ है जो काटे जायेंगे तथा उसके एवज में उसी प्रजाति के 50 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :—

- ✓ खदान क्षेत्र के उत्तर दिशा में 120 मीटर आबादी है, अतः 80 मीटर का सेट—बैक छोड़ा
 जाना होगा, इसलिए नॉन माईनिंग जोन दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मेप ।
- √ सिमिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- √ सिमिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 12/05/22 द्वारा दी गई, जिसे सिमित के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से सिमित द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन—10,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.30 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.98 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.25 लाख :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम टिकटई के आंगवाड़ी केंद्र में खाद्य सामग्री, स्टेशनरी जैसे कॉपी, कलम	25,000
एवं 2 कुर्सी तथा दरी का वितरण ।	
- 100	25,000
योग	25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2500 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
			(संख्या में)
1	बैरियर जोन तथा गैर खनन क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, सफेद कैस्टर, करंज आदि।	1300
2	परिवहन मार्ग तथा गांव मार्ग के दोनों ओर (पेड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— पीपल, करंज, सप्तपर्णी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सूए कचनार, बरगद, कदम, आम आदि।	600

	मीटर)		
3	ग्राम टिकटई के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— पुत्रंजीवा, मोलश्री, संतरा, पपीता, आम, इमली, मुनगा, कटहल करंज, आवलाए कचनार, बरगद, पीपल आदि।	50
4.	ग्राम टिकटई के शासकीय विद्यालय में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— पुत्रंजीवा, मोलश्री, करंज, सप्तपर्णी, नीम, चिरोल, करंजए कचनार, बरगद, पीपल आदि।	140
5.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, ऑवला, अनार, मुनगा, निम्बू, कटहल आदि।	410
		कुल वृक्षारोपण	2500

11- Case No 9157/2022 Shri Pawan Shukla Owner, R/o 12/419, Anant Chayya, Near Dainik Jagran Press, Khutehi Rewa, Tehsil - Huzur, Dist. Rewa, MP - 486001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.599 ha. (10,000 cum per annum) (Khasra No. 591(P)), Village - Tiktai, Tehsil - Chandla, Dist. Chhatarpur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by Online SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 591(P)), Village - Tiktai, Tehsil - Chandla, Dist. Chhatarpur (MP) 1.599 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 12/05/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपिश्वित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खिनज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर.एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खिजन शाखा) एकल प्रमाण पत्र कमांक 937 दिनांक 08/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य 01 खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 3.599 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के पश्चिम दिशा में 125 मीटर पर कच्चा रोड़ है । खदान क्षेत्र में 14 पेड़ है जिसमें से 07 काटे जायेंगे तथा उसके एवज में उसी प्रजाति के 70 अतिरिक्त पेड़

लगाये जायेंगे । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :--

- √ सिमिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ट्री इंवेंट्री एवं पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।
- 🗸 सिमति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी दिनांक 12/05/22 द्वारा दी गई, जिसे समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाई गई । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन—10,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.23 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.01 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.25 लाख :--

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
1 स्टेचर एवं 2 व्हील चेयर्स टिकटई गांव के प्राथमिक स्वास्थ केंद्र में उपलध कराई	25,000
जाएँगी।	
योग	25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2,000 वृक्षों का वृक्षारोपण :

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
	के लिए नियत स्थान		(संख्या में)
1	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू , पीपल, करंज आदि।	1100
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग (पेड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— पीपल, करंज, सप्तपर्णी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सूए कचनार, बरगद, कदंब, आम आदि।	100
3	ग्राम टिकटई के मुक्तिधाम परिसर में उपलब्ध क्षेत्र पर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— पुत्रंजीवा, मोलश्री, संतरा, पपीता, आम, इमली, मुनगा, कटहल, कदम , करंज, आवला, कचनार, बरगद, पीपल आदि।	150

4.	ग्राम टिकटई के मंदिर परिसर में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— पुत्रंजीवा, मोलश्री, कदम, मुनगा, कटहल करंज, आवलाए कचनार, बरगद, पीपल आदि।	100
5.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, मुनगा, निम्बू, कटहल आदि।	550
		कुल वृक्षारोपण	2000

(ए.ए. मिश्रा) सदस्य सचिव (डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

<u>Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:</u>

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

- 36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेत् निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
 - नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
 - नोट 4 :- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
 - नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - नोट 6 :- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

कृ.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फिਟ	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

- side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.

- b. Mining Lease area of the project (in ha.)
- c. Production capacity of the project.
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 38. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेत् निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -

नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

कृ.	स्थल		ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र		02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी		03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)	नाना		
	तीन वर्षो तक ।			
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।			

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तूरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.)
 - c. Production capacity of the project.
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and

fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
 - नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
 - नोट 4: पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
 - नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - नोट 6 :- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.

- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for:
 - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.

- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
 - नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
 - नोट 4 :- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
 - नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - नोट 6 :- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फिਟ	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट ७ :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.